



भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए



संघ सरकार (सिविल)
विधायिका रहित संघ शासित क्षेत्र
अनुपालन लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ
2016 की प्रतिवेदन सं. 24

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए

**संघ सरकार (सिविल)
विधायिका रहित संघ शासित क्षेत्र
अनुपालन लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ
2016 की प्रतिवेदन सं. 24**

विषय-सूची

विवरण	पैराग्राफ	पृष्ठ
प्राक्कथन		<i>iv</i>
विहंगावलोकन		<i>vi-xi</i>
अध्याय – I : प्रस्तावना		
इस प्रतिवेदन के विषय में	1.1	1
भारत में संघ शासित क्षेत्र	1.2	1
प्रशासनिक प्रबंध	1.3	2
वित्तीय प्रबंध	1.4	2
योजना एवं लेखापरीक्षा संचालन	1.5	4
सरकार की लेखापरीक्षा को प्रतिक्रियाशीलता	1.6	5
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई	1.7	5
ड्राफ्ट पैराग्राफों पर संघ-शासित प्रदेशों के उत्तर	1.8	6
अध्याय – II : संघ शासित क्षेत्र (व्यय क्षेत्र)		
संघ शासित क्षेत्र – अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन		
अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में पर्यटक आवास तथा अन्य अवसरंचनाओं का सृजन	2.1	7
ठेकेदारों को ₹1.09 करोड़ का परिहार्य भुगतान	2.2	20
₹31.26 लाख का अनियमित भुगतान	2.3	23
संघ शासित क्षेत्र, चंडीगढ़		
नगर निगम चण्डीगढ़ (यू.टी.) द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन	2.4	24

सेवा कर का अनियमित भुगतान	2.5	34
अविवेकपूर्ण ढंग से निधियां जारी करना	2.6	35
संघ शासित क्षेत्र, दादरा एवं नागर हवेली		
संघ शासित क्षेत्र “दादरा एवं नागर हवेली (यूटी डी एवं एनएच) में पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) का कामकाज”	2.7	37
संघ शासित क्षेत्र, दमन एवं दीव		
₹7.00 करोड़ की निधियों का अवरोधन	2.8	56
₹95.68 लाख लागत वाली सड़क साफ करने वाली मशीन का उपयोग न करने के कारण व्यर्थ निवेश	2.9	58
संघ शासित क्षेत्र, लक्षद्वीप		
सरकारी निधियां अनियमित रूप से रखना तथा ब्याज की हानि	2.10	60
निधियों का अवरोधन, लेखापरीक्षा के कहने पर वसूली तथा ब्याज की कम वसूली	2.11	62
सरकारी निधियों का अवरोधन	2.12	64
अध्याय – III : संघ शासित क्षेत्र (राजस्व क्षेत्र)		
अण्डमान एवं निकोबार प्रशासन		
₹51.42 लाख का गबन	3.1	66
संघ शासित क्षेत्र चंडीगढ़		
संसदीय अनुमोदन के बिना व्यय तथा भारत की समेकित निधि से बाहर विभागीय प्राप्तियां अप्राधिकृत रूप से रोके रखना	3.2	68

अध्याय IV: संघ शासित क्षेत्र (वाणिज्यिक क्षेत्र)

चण्डीगढ़ औद्योगिक एवं पर्यटन विकास निगम लिमिटेड में
होटलों के संचालन की लाभप्रदता

4.1

70

अनुबंध

87 – 93

परिशिष्ट

95 – 96